न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिंह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- 08/2017
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना तहसील मकराना जिला नागौर।

अप्रार्थी :-

1. हीरालाल पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्राहमण निवासी गुढाखेडी तहसील मकराना जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री केशव ओझा अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 14.03.2022

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार मकराना द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुढा चक प्रथम हाल तहसील मकराना की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2006 में खसरा नंबर 43 रकबा 11.11 बीघा किस्म बारानी दोयम प्लस (कॉलम संख्या 4 में नाम मालिक हासिल मय मल्दियत, कौमियत व सकूनत में) माफी मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी रामचन्द्र वल्द नरसिंह कौम ब्राहमण सा.देह डोलीदार एवं (कालॅम संख्या 5 में नाम काश्तकार व शिकमी काश्तकार मय मल्दियत, कौमियत व सकूनत में) खुदकाश्त का अंकन दर्ज रहा है। ग्राम गुढा चक प्रथम के खसरा नंबर 43 रकबा 11.11 बीघा किस्म बारानी दोयम प्लस सम्पूर्ण रकबा 11.11 बीघा की जमाबन्दी संवत् 2025 –2028 के अनुसार रामचंन्द्र पुत्र नरसिंह कौम ब्राहमण सा.देह की खातेदारी में दर्ज होने का अंकन विद्यमान है। जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र नरसिंह के स्थान पर विरासत से रुकमादेवी पत्नि रामसुख के नाम नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 08.07.1975 स्वीकृत हुआ एवं इसी चौसाला में जरिये नामान्तकरण संख्या 68 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

द्वारा गौदनामा के अनुसार रूकमादेवी के स्थान पर हीरालाल वल्द कन्हैयालाल कौम ब्राहमण सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त खसरे की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के अनुसार हीरालाल वल्द कन्हैयालाल कौम ब्राहमण सा. गुढाखेडी खातेदार का हिस्सा राहिन SBBJ शाखा बाजोली मुर्तहीन के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि माफी मंदिर के नाम की बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई खातेदारी प्रविष्टि अवैध एवं प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार मकराना ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खसरान माफी मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी रामचन्द्र वल्द नरसिंह कौम ब्राहमण सा.देह डोलीदार ग्राम गुढाचक प्रथम में अंकित मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज हस्तांतरण अवैध एवं नियमों के विरूद्ध होने से दर्ज नियम विरूद्ध खातेदारी भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज रेकार्ड कराने के आदेश प्रदान करावे।

{3} प्रार्थी तहसीलदार मकराना द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री केशव ओझा ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया।

{4} अप्रार्थी ने जरिये वकील दिनांक 31.01.2022 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुढाखेडी के खेत खसरा नंबर 43 रकबा 11.11 बीघा भूमि संवत् 2025 से 2028 तथा वर्तमान समय आज तक अप्रार्थी हिरालाल की पैतृक समय से कब्जा काश्त व खातेदारी की चली आ रही है। खेत खसरा नंबर 43 रकबा 11.11 बीघा की जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र नरसिंह के स्थान पर विरासत से रूकमादेवी पत्नि रामसुख के नाम नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 08.07.1975 स्वीकृत हुआ एवं इसी चौसाला में जरिये नामान्तकरण संख्या 68 के द्वारा गौदनामा के अनुसार रूकमादेवी के स्थान पर हीरालाल वल्द कन्हैयालाल कौम ब्राहमण सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज हुई इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थी की पुस्तैनी रूप से प्राप्त होकर पुस्तैनी खातेदारी के आधार पर दर्ज हुई है जो कि कतई अवैध व नियमो के विरूद्ध नही है। अप्रार्थी का उक्त खसरे पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा अप्रार्थी उक्त भूमि पर बरसात के मौसम में काश्त करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खरिज होने योग्य है। रेकार्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि ततसमय की खातेदारी हक अधिकारों के आधार पर सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार दर्ज की गई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

थी जो की कतई अवैध नियम विरूद्ध नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का आदेश करावें।

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा जिन भी खातेदारों के नाम भूमि दर्ज हुई है वह विधिवत है, अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित है ।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम गुढा चक प्रथम तहसील मकराना की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 में खसरा नंबर 43 रकबा 11.11 बीघा किस्म बारानी दोयम पल्स (कॉलम संख्या ४ में नाम मालिक हासिल मय मल्दियत, कौमियत व सकूनत में) माफी मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी रामचन्द्र वल्द नरसिंह कौम ब्राहमण सा.देह डोलीदार एवं (कालॅम संख्या 5 में नाम काश्तकार व शिकमी काश्तकार मय मल्दियत, कौमियत व सकूनत में) खुदकाश्त का अंकन दर्ज रहा है। परन्तु बाद की जमाबन्दी संवत् 2025 – 2028 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी के कालॅम संख्या 4 {भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार और बिस्वेदार या जमींदार) विवरण सहित} में राजस्थान सरकार तथा कालॅम संख्या 5 {नाम कृषक, विवरण सहित और कृषिकार} में रामचन्द्र पुत्र नरसींग कौम ब्राहम्ण सान्देह खातेदार की प्रविष्टि, बिना किसी सक्षम आदेश के की जाकर खसरा नंबर 43 कुल क्षेत्रफल 11.11 बीघा भूमि की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र नरसींग कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई । तत्पश्चात जमाबंदी संवत् जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र नरसिंह के स्थान पर विरासत से रूकमादेवी पत्नि रामसुख के नाम नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 08.07.1975 स्वीकृत हुआ एवं इसी चौसाला में जरिये नामान्तकरण संख्या 68 के द्वारा गौदनामा के अनुसार रूकमादेवी के स्थान पर हीरालाल वल्द कन्हैयालाल कौम ब्राहमण सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज हुई।

प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 में माफी मंदिर श्री महादेवजी की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 43 कुल क्षेत्रफल 11.11 बीघा भूमि की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र नरसींग कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर मूर्ति की भूमि में दिये गये खातेदारी अधिकारी विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य है। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम दर्ज अवैध खातेदारी भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है तत्पश्चात उक्त खसरान में कालान्तर में विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील मकराना के ग्राम गुढा चक प्रथम के खसरा नंबर 43 कुल क्षेत्रफल 11.11 बीघा भूमि पर अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर तथा विभिन्न नामान्तरण संख्या 67 तथा 68 अवैध होने से खारिज किये जाकर उक्त भूमि पुनः "माफी मंदिर श्री महादेवजी महाराज वाके देह" दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बूरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

Scanned with CamScanner